



22.07.2025

ज्ञापन

सेवा में

महामहिम राज्यपाल महोदय
राज भवन, देहरादून

महोदय,

आपके संज्ञान में राज्य में महिलाओं व नाबालिग बच्चियों के विरुद्ध हो रही हिंसा, बलात्कार व जघन्य हत्या की घटनाओं को लाते हुए बढ़ती महिला अपराध की घटनाओं पर रोक लगाने का आग्रह करना चाहते हैं।

महोदय, पिछले तीन वर्ष में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की 1822 घटनाएँ घटित हो चुकी हैं तथा 318 अज्ञात महिलाओं के शव मिले हैं जिनमें से केवल 87 की ही शिनाख्त हो पाई है। अकेले उत्तराखण्ड राज्य में पिछले 5 वर्ष में 10500 महिलाएँ लापता हुईं जिनमें से 767 महिलाएँ अभी भी लापता हैं। राज्य में साल दर साल महिला अपराध की घटनाओं में वृद्धि हो रही है तथा तीन साल में प्रदेशभर के पुलिस थानों में महिला अपराध के 103947 मुकदमें दर्ज हुए हैं। इस तीन वर्ष के अन्तराल में उत्तराखण्ड राज्य में हत्या, मासूमों से बलात्कार एवं महिलाओं से सम्बन्धित जघन्य अपराधों की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। राज्य में लगातार घट रही इन घटनाओं से महिला सम्मान के साथ-साथ राज्य की अस्मिता पर भी चोट पहुंची है तथा देवभूमि उत्तराखण्ड का गौरव कलंकित हुआ है। उत्तराखण्ड राज्य में औसतन प्रति माह एक बलात्कार और हत्या की घटना घटित हो रही है। तीन वर्ष पूर्व उत्तराखण्ड राज्य में हुए अंकिता भंडारी जघन्य हत्याकांड से शुरू हुआ सिलसिला लगातार बढ़ता गया तथा सामूहिक बलात्कार व हत्या की घटनाओं में सत्ताधारी दल के लोगों की संलिप्तता के चलते राज्य का पुलिस प्रशासन अपने को लाचार महसूस कर रहा है। राज्य में भय का वातावरण व्याप्त है तथा आमजन विषेशकर महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं।

महोदय, जहां हरिद्वार में अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी से सामूहिक दुष्कर्म कराने का मामला भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारी अनामिका शर्मा से जुड़ा हुआ है। महोदय, जिस प्रकार अनामिका शर्मा द्वारा जेल में बंद रहते हुए मोबाईल फोन से की गई वार्ता का ऑडियो वायरल हुआ है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जेल प्रशासन द्वारा जघन्य एवं घृणित अपराध के लिए जेल में बंद अनामिका शर्मा को सभी प्रकार की सुख-सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं वह प्रदेश की न्याय व्यवस्था तथा पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गम्भीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अनामिका शर्मा का पुलिस कस्टडी में रहते हुए जेल से मोबाईल पर की गई वार्ता के ऑडियो की जांच कराते हुए दोषी जेल प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

महोदय, राज्य में विगत तीन वर्ष के अन्तराल में महिलाओं के साथ घटित जघन्य अपराधों से सम्बन्धित निम्न घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं:-

1. 27 मार्च, 2022 को जनपद बागेश्वर के कपकोट में 12 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास की घटना।
2. 2 अप्रैल, 2022 को जनपद उधमसिंहनगर के काशीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास की घटना।
3. 2 अप्रैल, 2022 को जनपद चमोली के थराली में नाबालिग से छेड़छाड़ की घटना।



4. 14 अप्रैल, 2022 को देहरादून के जाखन स्थित लॉज में महिला की हत्या।
5. 14 अप्रैल, 2022 को जनपद उधमसिंहनगर के किच्छा में साढ़े तीन साल की बच्ची की दुष्कर्म के उपरान्त हत्या।
6. 18 सितम्बर 2022 को वनन्तरा रेस्टोरेंट में अंकिता भंडारी जघन्य हत्याकांड।
7. जून 2024 को बहादुराबाद में 13 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार एवं हत्या
8. 23 जून 2024 को अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट में दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार
9. 28 जून 2024 को अल्मोड़ा के रानीखेत में दलित नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म
10. 30 जुलाई 2024 को जनपद उधमसिंहनगर के रूद्रपुर में महिला नर्स के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या।
11. 22 अगस्त 2024 को आईएसबीटी देहरादून में किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार।
12. 24 अगस्त 2024 को अल्मोड़ा जनपद के सल्ट में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास।
13. 3 सितम्बर 2024 को अल्मोड़ा जनपद के भिकियासैण में 5 साल की मासूम नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास।
14. माह जून 2025 में हरिद्वार में 4 साल की मासूम की यौन शोषण के उपरान्त हत्या।

महोदय, राज्य में लगातार सामूहिक बलात्कार व हत्या की घटनाओं में सत्ताधारी दल के लोगों की संलिप्तता उजागर हो रही है जो कि अत्यधिक चिंता का विषय है। भाजपा सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में घटी इन महिला अपराध की घटनाओं में सत्ताधारी दल के नेताओं की संलिप्तता ने देवभूमि उत्तराखण्ड की अस्मिता को तार-तार कर रख दिया है। मासूमों से बलात्कार एवं हत्या की इन घटनाओं की उच्च स्तरीय निष्पक्ष न्यायिक जांच कराते हुए अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी नितांत आवश्यक है।

महोदय, राज्य में संवैधानिक संरक्षक होने के नाते उत्तराखण्ड प्रदेश महिला कांग्रेस आपसे आग्रह करती है कि:-

1. उत्तराखण्ड राज्य में महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष आयोग या उच्च स्तरीय जांच कमेटी के गठन के आदेश दिये जाय।
2. उत्तराखण्ड महिला आयोग एवं बाल आयोग को तुरंत भंग करते हुए इन आयोगों की स्वतंत्रता, सक्रियता और जवाबदेही तय करते हुए आयोगों का पुनर्गठन किया जाय।
3. महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों के मामले में चुप्पी साधने पर महिला एवं बाल विकास मंत्री सहित सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाय।
4. महिला अपराध के गंभीर मामलों में सीबीआई/एसआईटी जांच की सिफारिश की जाय।

महोदय, महिला अपराध के खिलाफ लड़ी जा रही इस लड़ाई का कोई राजनैतिक रंग नहीं है- यह नारी अस्मिता, बेटियों की सुरक्षा और न्याय के लिए है। आज जब सत्ता और व्यवस्था दोनों मौन हो चुके हैं तब प्रदेश की बेटियां राजभवन की ओर इस उम्मीद से देखती हैं कि आप उपरोक्त घृणित आपराधिक घटनाओं के लिए दोषी अपराधियों के खिलाफ शीघ्र कठोर कानूनी कार्रवाई किये जाने एवं राज्य में महिला अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।

सादर,

ज्योति रौतेला
Adv. M. A. S. Rautela
राजपुर रोड
देहरादून

भवदीया,
Rautela
(ज्योति रौतेला)